न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2009

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 मृतक उदाराम पुत्र जोगाराम जाति देवासी निवासी थरासनी के का0मु0		1 चैनसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी थरासनी तहसील सोजत
1.1 संजना पत्नु उदाराम		
1.2 रूपाराम पुत्र उदाराम		
1.3 सन्तोष पुत्र उदाराम		
1.4 कमला पुत्र उदाराम		
1.5 गणपतराम पुत्र उदाराम		
1.6 जस्साराम पुत्र उदाराम जातिगण देवासी निवासीगण थरासनी तहसील सोजत		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री धर्मीचन्द देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19/2/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 3/2003 बअनवान चैनसिंह बनाम उदाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से नियम 20 सपठित नियम 14 (4) के तहत अपीलाण्ट को ग्राम थरासनी के खसरा नम्बर 1229 रकबा 1 हैक्टेयर की भूमि के किए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गए नियमन को निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने अपना कब्जा काश्त बताते हुए पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट्स के पिता उदाराम के पक्ष में जारी नियमन आदेश को अपास्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरित आदेश पारित किया गया था। अपील विचारण के दौरान ही अपीलाण्ट फौत हो चुका है, जिसके कारण अपीलाण्ट के विधिक वारिशान को बतौर अपीलाण्ट पक्षकार संयोजित किया गया। इसके पश्चात अपील दिनांक 21.09.2015 को अदम पैरवी में खारिज हो गई तथा स्थगन वेकेट हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना में भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। उक्त प्रकरण में किसी भी रूप में राजकीय हित प्रभावित नहीं होता है। प्रकरण मात्र निजी पक्षकारों के मध्य कब्जे के विवाद के सम्बन्ध में था। इस प्रकरण में पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है तथा दोनों ही पक्ष माफिक राजीनामा अपील का निस्तारण करवाना चाहते है। राज्य सरकार द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन किया गया था एवं उक्त नियमन को सरकार की ओर से कभी चुनौती नहीं दी गई, न ही उसे अनुचित अथवा अवैध माना, ऐसी स्थिति में मात्र सिवायचक दर्ज हो जाने से राजकीय हित प्रभावित नहीं होता है। चूंकि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। इस स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण को माफिक राजीनामा ही निस्तारित किया जा सकता है, इसे मेरीट पर अथवा गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। अतः आपत्ति स्वीकार करावें एवं अपील को माफिक राजीनामा निस्तारित कराने के आदेश प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 2017 पेज 627 में प्रतिपादित सिद्धान्त का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं कथनों का समर्थन करते हुए अपील को माफिक राजीनामा निस्तारित कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 सपठित नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर आवंटन नियमन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम थरासनी के खसरा नम्बर 1229 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि का अपीलाण्ट के पक्ष में किए गए नियमन आदेश दिनांक 01.09.2008 को अपास्त कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये नियमन आदेश को अपास्त करते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जैर अपील आदेश को चुनौती दी तथा दिनांक 13.04.2009

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को अन्तरिम व्यादेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना एवं प्रभाव को आगामी आदेशों तक स्थगित कराने के आदेश पारित किए। तत्पश्चात दिनांक 21.09.2015 को अपीलाण्ट एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गई। इस कारण स्थगन भी स्वतः निष्प्रभावी होने के कारण जैर अपील आदेश की पालना में तहसीलदार सोजत द्वारा वादस्थ भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 9/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार अपील पुनः बरामदर कर नम्बर पर लिए जाने के आदेश पारित होने के फलस्वरूप अपील पुनः नम्बर पर ली गई। तत्पश्चात उभयपक्ष ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया तथा माफिक राजीनामा प्रकरण को निस्तारण करवाने का अनुतोष चाहा। यह स्वीकृत तथ्य है कि दोनों पक्षों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, साथ ही उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना स्वीकार कर रहे है। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजकीय हित नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा न तो नियमन आदेश को चुनौती दी गई है, न ही नियमन खारिज करने का निवेदन किया है केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए भूमि को सिवाय चक दर्ज किया है। उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि बाबत भूमिधारी अथवा राज्य को नियमन को बहाल करने बाबत कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण 2 प्राईवेट पक्षकारों के बीच का है, जो विधिनुसार राजीनामा करने हेतु सक्षम है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 आर.आर.डी. पेज 627 में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त प्रकरण से मिलते–जुलते प्रकरण में राजीनामा अनुसार याचिका भी स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश को बहाल किया है अर्थात् राजकीय हित प्रभावित न तो प्राईवेट पक्षकारों के मध्य चल रहे मुकदमे में विधिनुसा राजीनामा किया जा सकता है और राजीनामा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जा सकता है इस बाबत विधिक रूप से कोई रोक नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि भूमिहीन काश्तकार को आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर आवंटित की गई थी, जो विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन होना उभयपक्ष ने स्वीकार किया है, इस कारण भूमि आवंटी की ही समझी जावेगी। इस प्रकार प्रकरण में किसी प्रकार का राजकीय हित प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1994 आर.बी.जे. पेज 134, 1993 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 465, 1995 आर.आर.डी. पेज 529 अनुसार राजीनामा तस्दीक होने के बाद राजीनामा अनुसार ही प्रकरण को निर्णित किया जाएगा, अन्यथा निर्णित नहीं किया जाएगा। चूंकि रेस्पोडेण्ट स्वयं अपीलाण्ट का उपरोक्त प्रकरण में वर्णित नियमनशुदा भूमि पर कब्जा व काश्त होना स्वीकार करता है और प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजकीय हित प्रभावित नही हो रहा है ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर भी अपील को स्वीकार किया जाना ही न्यायोचित्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 3/2009

बअनवान चैनसिंह बनाम उदाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली